



कार्यालय, जिला पंचायत, मथुरा।

10, सिविल लाइन्स, मथुरा- 281001

ई-मेल: zpmathura@gmail.com

दूरभाष : 0565-2470898

पत्रांक: 2105/नक्शासहा0/जि0पं0म0/2025-26

दिनांक:- 28/02/2026

मैसर्स श्री वृन्दा रीयल एस्टेट एण्ड डवलपर्स,
रजिस्टर्ड आफिस- श्री वृन्दा आर्चिड्स जैत,
रामताल रोड जैत, जिला-मथुरा
द्वारा अधिकृत पार्टनर/हस्ताक्षरी
श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र श्री भिक्की लाल अग्रवाल
नि0 54, जगन्नाथपुरी, मथुरा

:: अनुज्ञा / स्वीकृति ::

विषय:- तहसील गोवर्धन विकास खण्ड-नन्दगौव के मौजा कमई स्थित खसरा सं0- 284, 295, 295/2, 310/1, 310/2, एवं मौजा हाथिया के स्थित खसरा सं0-677 एवं 678 कुल 165783.92 वर्गमीटर कवर्ड ऐरिया "श्री वृन्दा आराध्या (रैजीडैन्सियल कॉलोनी) विकसित करने हेतु भू-प्लानिंग का कार्य ले-आउट मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक आप द्वारा तहसील गोवर्धन विकास खण्ड-नन्दगौव के मौजा कमई स्थित खसरा सं0- 284, 295, 295/2, 310/1, 310/2, के कुल रकवा 15.0380 हैक्टेअर (यानि कि क्षेत्रफल 150380 वर्गमीटर) भूमि एवं मौजा हाथिया के स्थित खसरा सं0-677 एवं 678 के कुल रकवा 1.73187 (यानि कि क्षेत्रफल 17318.70 वर्गमीटर) इस प्रकार कुल 165783.92 वर्गमीटर क्षेत्रफल को उ0प्र0रा0सं0 की धारा 80 के अधीन अकृषिक घोषित कराकर निम्न विवरण के अनुसार कुल 165783.92 वर्गमीटर कवर्ड ऐरिया "श्री वृन्दा आराध्या (रैजीडैन्सियल कॉलोनी) विकसित करने हेतु भू-प्लानिंग का कार्य का पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार ले-आउट मानचित्र के साथ अपेक्षित अभिलेख संलग्न कर प्रश्नगत ले-आउट मानचित्र की स्वीकृत/अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है।

। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण का विवरण :-

1. कुल नेट लैण्ड एरिया (AS PER SITE) - कुल	165783.92 वर्गमीटर
2. कुल प्रस्तावित आवासीय भू-प्लानिंग हेतु ग्राउण्ड कवरेज एरिया	72905.35 वर्गमीटर
3. व्यासायिक उपयोग हेतु आरक्षित प्लान्ट एरिया ले-आउट	12724.06 वर्गमीटर
4. स्कूल बिल्डिंग हेतु आरक्षित कुल ऐरिया	522.72 वर्गमीटर
5. कम्युनिटी सैण्टर हेतु कुल आरक्षित ऐरिया	43.19 वर्गमीटर
6. जन उपयोगार्थ डलाब घर एवं एस.टी.पी व अन्य. हेतु आरक्षित एरिया	432.64 वर्गमीटर
7. ग्रीन एरिया/पार्क विकसित करने हेतु कुल	25689.33 वर्गमीटर
8. सडकें हेतु प्रस्तावित/ओपन ऐरिया हेतु आरक्षित	53466.63 वर्गमीटर
9. बाउण्ड्रीवाल निर्माण की लम्बाई	3000 मीटर,

प्रश्नगत स्थल पर उपरोक्तानुसार प्रस्तावित भू-प्लानिंग कार्य हेतु ले-आउट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में अवर अभियंता एवं अभियंता जिला पंचायत मथुरा द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के अनुसार उपरोक्त विषयांकित भूमि जनपद मथुरा के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत है, जो कि किसी विकास प्राधिकरण अथवा औद्योगिक विकास क्षेत्र आदि की सीमा से बाहर है। उक्त स्थल जिला पंचायत, मथुरा के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। उपरोक्तानुसार आपके आवेदन के साथ संलग्न ले-आउट मानचित्र पर जिला पंचायत, मथुरा में वर्तमान में प्रचलित मानक उपविधि जो आयुक्त आगरा मण्डल आगरा के पत्र संख्या: 2472/21-1/2023-24 दिनांक 18 जून, 2024 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, दिनांक 10 अगस्त, 2024 को प्रकाशित उपविधि में उल्लिखित धाराओं एवं नियमों के अधीन निर्धारित की गयी मानचित्र शुल्क एवं अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्न शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन

शेष-2 पर

अभिषन्ता

जिला पंचायत (मथुरा)

तहसील गोवर्धन विकास खण्ड-नन्दगाँव के मौजा कमई स्थित खसरा सं०- 284, 295, 295/2, 310/1, 310/2, के कुल कवा 15.0380 हैक्टेअर (यानि कि क्षेत्रफल 150380 वर्गमीटर) भूमि एवं मौजा हाथिया के स्थित खसरा सं०-677 एवं 678 के कुल रकवा 1.73187 (यानि कि क्षेत्रफल 17318.70 वर्गमीटर) इस प्रकार कुल 165783.92 वर्गमीटर क्षेत्रफल को उ०प्र०रा०सं० की धारा 80 के अधीन अकृषिक घोषित कराकर निम्न विवरण के अनुसार कुल 165783.92 वर्गमीटर कवर्ड ऐरिया "श्री वृन्दा आराध्या (रैजीडैन्सियल कॉलौनी) विकसित करने हेतु भू-प्लाटिंग का कार्य हेतु उपरोक्तानुसार ले-आउट मानचित्र की उपरोक्त के अतिरिक्त नीचे उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तदनुसार स्वीकृति/अनुज्ञा प्रदान की जाती है ।

(1) निम्नलिखित अनुदेशों/प्रतिबन्धों का अनुपालन भू-स्वामी/फर्म/अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अपेक्षित है :-
भूमि-प्लाटिंग कार्य हेतु सामान्य अनुदेश

अनुज्ञा पत्र जारी करने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी अथवा गलत हैं, तो जिला पंचायत स्तर से प्रदत्त स्वीकृति/अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी एवं कराये गये निर्माण को ध्वस्त अथवा सील किया जा सकता है ।

1. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त आवेदक द्वारा लोक निर्माण विभाग, अभियंत्रण विभाग, प्रदूषण विभाग, पर्यावरण विभाग, अग्निशमन विभाग, एन०जी०टी०, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, वाणिज्यकर विभाग, यमुना विकास प्राधिकरण, एवं सम्बन्धित अन्य विभागों से अपेक्षित लाईसेंस/पंजीकरण/अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य स्थल पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कार्य कुशल एवं दक्ष आर्किटेक्ट/ इंजीनियर की देख-रेख में कराना होगा । साथ ही किसी भी प्रकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्गत लाईसेंस/ पंजीकरण/ अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता की समाप्ति से पूर्व उनका सक्षम स्तर से नवीनीकरण कराना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा, तथा जिनमें उल्लिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों का पूर्णतः पालन करना भवन स्वामी/अधिकृत व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा, अन्यथा की स्थिति में भवन स्वामी/अधिकृत व्यक्ति की पूर्ण जिम्मेदारी होगी, तथा मानचित्र की स्वीकृति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी ।
2. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि सार्वजनिक उपयोग हेतु आरक्षित भूमि पर किसी प्रकार निजी निर्माण नहीं किया जायेगा ।
3. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भविष्य में शासन/जिला पंचायत द्वारा जारी किसी भी नवीन निर्देश का पालन करना आवेदक को अनिवार्य होगा ।
4. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति/अनुमोदन स्वतः निरस्त मानी जायेगी ।
5. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि प्रस्तावित कार्य करते समय तथा कार्य अवधि में कोई भी सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित/ अतिक्रमण नहीं किया जायेगा ।
6. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित कर जलमल/सीवरेज/उत्सर्जित पदार्थ का निस्तारण पर्यावरण/प्रदूषण विभाग के मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा ।
7. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से निर्माण स्थल की प्रतिबन्धित दूरी के सम्बन्ध में रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल रूल्स 1965 के नियम-7 यथावत् लागू रहेंगे ।
8. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि मानचित्र के अनुसार तहसील गोवर्धन विकास खण्ड-नन्दगाँव के मौजा कमई स्थित खसरा सं०- 284, 295, 295/2, 310/1, 310/2, के कुल क्षेत्रफल 150380 वर्गमीटर भूमि एवं मौजा हाथिया के खसरा सं०-677 एवं 678 के कुल क्षेत्रफल 17318.70 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 16.76987 हैक्टेअर भूमि को उ०प्र०रा०सं० की धारा 80 के अधीन अकृषिक घोषित कराकर कुल 165783.92 वर्गमीटर कवर्ड ऐरिया में "श्री वृन्दा आराध्या (रैजीडैन्सियल कॉलौनी) विकसित करने हेतु भू-प्लाटिंग का कार्य जिसमें प्रस्तावित भू-प्लाटिंग हेतु ग्राउण्ड कवरेज ऐरिया 72905.35 वर्गमीटर, एवं प्रस्तावित ओपन ऐरिया, पार्क विकसित करने हेतु कुल 25689.33 वर्गमीटर, सड़कें हेतु प्रस्तावित कुल 53466.63 वर्गमीटर व प्रस्तुत ले-आउट मानचित्र में दर्शाये गये, प्रस्तावित कार्मिशियल प्लॉट ग्राउण्ड कवरेज ऐरिया 12724.06 वर्गमीटर भविष्य हेतु आरक्षित (Reserved), एवं कम्प्युनिटी सेण्टर, स्कूल, डलाबघर हेतु कुल 998.55 वर्गमीटर क्षेत्र भविष्य हेतु आरक्षित (Reserved) है, उक्त क्षेत्रों में न तो कोई निर्माण, और न ही विकास अथवा भू-उपविभाजन प्रस्तावित है, आरक्षित (Reserved) भूखण्ड से सम्बन्धित निर्माण मानचित्र अथवा विकास प्रस्ताव पृथक से प्रस्तुत कर नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है । तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण की लम्बाई 3000 मीटर, है । प्रस्तावित भूमि प्लाटिंग (542 प्लाट्स विभिन्न आकार + 24 प्लाट कार्मिशियल प्रयोजन हेतु) कार्य का श्री वृन्दा आराध्या (रैजीडैन्सियल कॉलौनी) विकसित करने हेतु भू-प्लाटिंग मौजा कमई एवं हाथिया के ले-आउट मानचित्र की स्वीकृति उपविधि में दी गयी व्यवस्थानुरूप उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रहेगी ।

शेष—3 पर


अभियन्ता

जिला पंचायत (मथुरा)

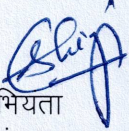
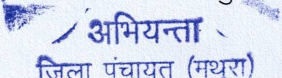
9. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि किसी शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा, और न ही उन पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार करेगा।
10. प्रतिबन्ध यह कि भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोजन में लाया जायेगा।
11. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि स्वीकृत मानचित्र में बिना पूर्व सूचना के नक्शों/ भवन में किसी भी प्रकार का परिवर्धन/ परिवर्तन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी प्रकार परिवर्तन/ परिवर्धन/मानचित्र में प्रस्तावित है, तो जिला पंचायत मथुरा से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. प्रतिबन्ध यह है कि उपविधि के अनुसार स्वीकृति मानचित्र की अवधि अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी। निर्धारित अवधि के पश्चात कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में कार्यालय जिला पंचायत मथुरा से पुनः प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित समयावधि में उपविधि के अनुसार कार्य पूर्ण होने पर कार्यालय से पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
13. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि स्वीकृत भूखण्ड की सीमा से बाहर कोई भी प्रस्तावित कार्य अनुमन्य नहीं होगा।
14. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि प्रस्तावित भूखण्ड/भूमि शासकीय निकाय जैसे- नगर निगम/नगर पालिका/परिषद/टाउन एरिया/विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण/औद्योगिक विकास प्राधिकरण व अन्य किसी के स्वामित्व तथा क्षेत्रान्तर्गत अथवा यदि भविष्य में उपरोक्त प्राधिकरणों द्वारा किसी भी प्रकार की प्रस्तावित महायोजना व अन्य विकास योजनान्तर्गत अधिग्रहित/अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित होती है, अथवा प्रश्नगत भूमि पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सम्बन्धित विभाग के सभी आदेशों/निर्देशों तथा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा, तथा जिला पंचायत मथुरा द्वारा प्रदत्त मानचित्र ले-आउट की स्वीकृति तथा अनुज्ञा पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। इस हेतु जिला पंचायत, मथुरा किसी भी प्रकार की उत्तरदायी नहीं होगी, और न ही मा0 न्यायालय की शरण लेंगा। सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक/आवेदकों की होगी, ऐसीस्थिति में मानचित्र की स्वीकृति/अनुज्ञा पत्र स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
15. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।
16. प्रतिबन्ध यह है कि यदि प्रस्तावित भूमि/ भूखण्ड में लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाइन तथा सर्विस लाइन एवं हाई वोल्टेज लाइन 33000 वोल्टेज तक तथा एक्सट्रा हाई वोल्टेज लाइन यदि है, तो आवेदनकर्ता को सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा, तथा विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त मानी जायेगी।
17. भवन निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड/ आई0एस0डी0कोड का पालन करना होगा एवं भूकम्परोधी व्यवस्थाएँ करते हुए निर्माण कार्य कराना होगा व आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। निर्माण कार्य का समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के समय बताये गये परिवर्तन मान्य होंगे।
18. विद्युत लाइन की सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जायेगा, इस सम्बन्ध में विद्युत विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार तथा निर्दिष्ट नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि व्यावसायिक भवन का निर्माण अग्निशमन/सुरक्षा सम्बन्धी अन्य समस्त प्राविधानों को अनिवार्य रूप से, स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी से स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र करने के उपरान्त ही कार्य स्थल पर प्राप्त अनापत्ति के अनुसार ही कार्य कराया जायेगा।
20. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि विभाग द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त कवर्ड ऐरिया एफ0ए0आर0 बिना विभाग की पूर्वानुमति के नहीं बढ़ायेंगे। भवन सड़क/मार्ग से निर्धारित आवश्यक दूरी छोड़कर बनाया जाय।
21. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि निकटतम हवाई अड्डे चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (एयरपोर्ट ऑथरिटी फोर इण्डिया) द्वारा नियंत्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियंत्रित हो के नियम एवं शर्तों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
22. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि यदि उक्त विभाग एवं अन्य किसी विभाग की कोई अन्य देनदारी आती है तो वह आवेदक को स्वयं अदा करनी होगी।
23. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि कार्यालय जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के पत्रांक 4638/14-1 मथुरा, दिनांक 20.04.2022 के अनुसार मण्डलायुक्त/अध्यक्ष, टी0टी0जेड0 प्राधिकरण, आगरा की अध्यक्षता में "ताज ट्रिपेजियम जोन प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) प्राधिकरण" की 55वीं सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रोजेक्ट प्रापोनेन्ट के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/ जिला पंचायत/स्थानीय निकाय आदि के पेड न काटे जायें। कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा के पत्र संख्या 4196/14-1 दिनांक 28.02.2024 द्वारा निर्गत पत्र में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

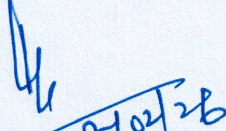

अभियन्ता
जिला पंचायत (मथुरा)

24. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि राष्ट्रीय/प्रान्तीय/ जनपदीय व अन्य मार्गों के मध्य से जो दूरी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी हो, वह दूरी छोड़कर कर ही भवन का निर्माण कार्य करना होगा तथा लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग व सम्बन्धित अन्य कार्यदायी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।
25. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख असत्य, फर्जी व झूठे पाये जाने की स्थिति में मानचित्र ले-आउट स्वीकृति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
26. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि जिला पंचायत, मथुरा में प्रचलित उपविधियों में उल्लिखित नियमों/ शर्तों को पालन न करने की दशा में सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध जिला पंचायत मथुरा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर दण्डनीय कार्यवाही की जायेगी तथा सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अन्तर्गत भी जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।
27. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि किसी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत मथुरा इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा सवीकृत मानचित्र किसी भी प्रकार के वाद/विवाद में सम्पत्ति का अभिलेख नहीं माना जायेगा।
28. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा जिला पंचायत मथुरा भवन उपविधि की किसी धारा एवं उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार कुल शुल्क की गणना के अतिरिक्त देय होगा।
29. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानों का पालन करते हुए आवश्यक सेस कर का भुगतान विभाग को भू-स्वामी द्वारा स्वयं करना होगा।
30. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि कम से कम 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल प्रति वृक्ष के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
31. प्रतिबन्ध यह रहेगा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/ शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थानुरूप अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
32. उपरोक्त के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त प्रतिबन्धों का पालन न करने पर जिला पंचायत मथुरा द्वारा दी गयी स्वीकृति/ अनुज्ञा स्वयं ही निरस्त मानी जायेगी।

संलग्नक: स्वीकृत मानचित्र की 02 प्रतियाँ।


अभियंता
जिला पंचायत, मथुरा।

अभियन्ता
जिला पंचायत (मथुरा)


अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मथुरा
